न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

मिसल नं 13 सन् 2019
स्टेट जरिये पटवारी हल्का काहिरा बनाम पूर्णाराम
पुत्र श्री रुघनाथाराम
जाति जाट
निवासी काहिरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत
निर्णय दिनांक 30/7/19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण अनुसार पटवारी हल्का काहिरा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थी श्री पूर्णाराम पुत्र श्री रुघनाथाराम जाति जाट निवासी काहिरा ने खसरा नंबर 1479/812 तादादी 0.03 वाके रोही काहिरा किस्म गै.मु.रास्ता में संवत् 2076 में किस्म नाजायज कब्जा/काश्त करके अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट की गिरदावर हल्का द्वारा जॉच की जाकर पेश की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी श्री पूर्णाराम पुत्र श्री रुघनाथाराम जाति जाट निवासी काहिरा को राजस्थान भू–अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। गैर सायल श्री पूर्णाराम उपरिथिति/अनुपस्थित। गैर सायल की तरफ से सबूत में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री पूर्णाराम द्वारा खसरा नंबर 1479/812 तादादी 0.03 गोचर/जोहड़ पायतन/अराजीराज/गै.मु.सड़क/रास्ता वाके रोही काहिरा में संवत् 2076 में नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। श्री पूर्णाराम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने एवं शरह पड़त सालाना तावान 1 गुणा बतौर शास्ति 2.00 /–रू. कायम की जाकर वसूल करने के आदेश दिये जाते है। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को लिखा जावे कि मौके पर पहुंच कर अतिक्रमीं को मौके से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तहसील राजस्व लेखाकार को शास्ति की मांग कायमी हेतु तथा पटवारी हल्का को आरोपित शास्ति वसूली करने हेतु लिखा जावे।

पत्रांवली फैसल शुमार होकर बाद पालना रिपोर्ट तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/7/19 को खुले ईजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (राजस्व)
तहसीलदार नोखा
नोखा जिला बीकानेर